(922)

पत्रांक : 5प/षष्ठम् रा०वि०आ०–10–02/2024/46(स्वी०)/पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,
विशेष सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 20/08/2026

विषय : वित्तीय वर्ष 2026–27 में षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत ग्राम पंचायतों में मोक्षधाम/श्मशान घाट/शवदाह गृह/मुक्तिधाम के निर्माण हेतु कुल ₹4,02,45,00,000.00 (चार अरब दो करोड़ पैंतालीस लाख रूपये) मात्र की राशि को राज्य के सभी ग्राम पंचायतों के बीच वितरण, निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

विभागीय पत्रांक 7986 दिनांक 22.05.2026 द्वारा सात निश्चय–03 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में मोक्षधाम/श्मशान घाट/शवदाह गृह/मुक्तिधाम के निर्माण ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश संसूचित है। इस दिशा–निर्देश की कंडिका–5 (iii) (ख) में निहित प्रावधानों के आलोक में राशि का व्यय वहन राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य योजना मद की राशि से किया जाना प्रावधानित है।

2. षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा की कंडिका–8.29 (1) में निहित प्रावधानों के आलोक में विभागीय पत्रांक 11213 दिनांक 03.08.2026 द्वारा षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत ग्राम पंचायतों को देय विकास निधि अंतर्गत Tied मद की राशि से ग्राम पंचायतों में मोक्षधाम/श्मशान घाट/शवदाह गृह/मुक्तिधाम के निर्माण कराये जाने का निदेश संसूचित है।

3. उक्त के आलोक में राज्य के कुल 8049 ग्राम पंचायतों में मोक्षधाम/श्मशान घाट/शवदाह गृह/मुक्तिधाम के निर्माण हेतु षष्ठम् राज्य वित्त आयोग के तहत ग्राम पंचायतों को विकास निधि के Tied मद में देय राशि में से ₹05–₹05 लाख रूपये प्रति ग्राम पंचायत की दर से कुल ₹4,02,45,00,000.00 (चार अरब दो करोड़ पैंतालीस लाख रूपये) मात्र की राशि **(विवरणी–1)** के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. इस स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता उपशीर्ष–0009–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा

Scanned with OKEN Scanner

921

के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान" के विषय शीर्ष–"0009.31.05–सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण" मद से किया जायेगा। इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड–16–2515001980009 है।

5. इस स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो इस स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न **विवरणी–1** के अनुरूप CFMS के माध्यम से राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से करते हुए संबंधित ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में CFMS के माध्यम से राशि अंतरित कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

6. इस राशि की निकासी के लिए विभाग द्वारा अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा।

7. ग्राम पंचायतों को आवंटित राशि के विरूद्ध जिला पंचायत राज पदाधिकारी ससमय उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में पंचायती राज विभाग को उपलब्ध करायेंगे। जिला पंचायत राज पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि इस स्वीकृत राशि का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन यथाशीघ्र विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

8. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 573 दिनांक 16.01.1975 एवं एम० 04–15/2009–9736 दिनांक 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम–271(ङ) के अनुसार सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अन्दर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा।

9. षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को स्वीकृत/आवंटित राशि में कोई त्रुटि (राशि कम या अधिक स्वीकृत/आवंटित होना) परिलक्षित होने की स्थिति में त्रुटिपूर्ण राशि के स्थान पर सही राशि स्वीकृत/आवंटित की जा सकेगी।

10. वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार कार्यालय से प्राधिकार–पत्र की आवश्यकता नहीं है।

11. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहाकर की सहमति संचिका संख्या–5प/षष्ठम रा०वि०आ०–10–02/2024 के पृष्ठ संख्या ...186.../टि० पर दिनांक.......11/08/26.. को प्राप्त है।

12. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/षष्ठम् रा०वि०आ०–10–02/2024 के पृष्ठ संख्या ...187/टि... ...../टि० पर दिनांक ...13/8/2026... को प्राप्त है।

13. प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री, पंचायती राज विभाग का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/षष्ठम् रा०वि०आ०–10–02/2024 के पृष्ठ संख्या 187...../टि० पर दिनांक ....19/8/26.......को प्राप्त है।

Scanned with OKEN Scanner

14. प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति संचिका संख्या 5प/षष्ठम् रा०वि०आ०–10–02/2024 के पृष्ठ संख्या 169/टि० पर दिनांक 19/07/26 को प्राप्त है।

15. स्वीकृत्यादेश एवं संलग्न विवरणी के सभी पृष्ठ विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन
20/8/26
(नजर हुसैन)
विशेष सचिव

ज्ञापांक : 5प/षष्ठम् रा०वि०आ०–10–02/2024 /46(स्वी०)/पं०रा० पटना, दिनांक. 20/8/26
प्रतिलिपि : सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/संयुक्त सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

20/8/26
(नजर हुसैन)
विशेष सचिव

ज्ञापांक : 5प/षष्ठम् रा०वि०आ०–10–02/2024 /46(स्वी०)/पं०रा० पटना, दिनांक. 20/08/26
प्रतिलिपि: सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

20/8/26
(नजर हुसैन)
विशेष सचिव

ज्ञापांक : 5प/षष्ठम् रा०वि०आ०–10–02/2024 /46(स्वी०)/पं०रा० पटना, दिनांक. 20/8/26
प्रतिलिपि: मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

20/8/26
(नजर हुसैन)
विशेष सचिव

ज्ञापांक : 5प/षष्ठम् रा०वि०आ०–10–02/2024 /46(स्वी०)/पं०रा० पटना, दिनांक. 20/8/26
प्रतिलिपि: प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–02, 05 एवं 06/अनुश्रवण कोषांग/बैंकिंग कोषांग/आई०टी० प्रबंधक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

20/8/26
(नजर हुसैन)
विशेष सचिव

D:\MS EXCEL\MS Excel\Budget\Amit ji\6th SFC 26-27\sanction order.docx22

Scanned with OKEN Scanner